

राजभाषा कार्यान्वयन की गतिविधियाँ

कोच्ची नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति रॉलिंग ट्रॉफी: सी एम एफ आर आइ को राजभाषा के उत्कृष्ट निष्पादन के लिए कोच्ची नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति रॉलिंग ट्रॉफी-2017-18 (प्रथम स्थान) और संस्थान की अर्ध वार्षिक हिन्दी गृह पत्रिका 'मत्स्यगंधा'

के लिए उत्तम गृह पत्रिका रॉलिंग ट्रॉफी (प्रथम स्थान) भी प्राप्त हुई। आयकर विभाग, कोचीन में दिनांक 15.03.2019 को आयोजित संयुक्त राजभाषा समापन समारोह में मुख्य आयकर आयुक्त श्री एन. जयशंकर, आइ आर एस ने पुरस्कारों का वितरण किया।



उत्कृष्ट गृह पत्रिका की रॉलिंग ट्रॉफी



राजभाषा कार्यान्वयन की रॉलिंग ट्रॉफी

राजभाषा निरीक्षण: श्री नवीन कुमार यादव, सहायक निदेशक (रा भा) ने दिनांक 28.02.2019 को सी एम एफ आर आइ मुंबई अनुसंधान केंद्र की राजभाषा गतिविधियों का निरीक्षण किया।

डॉ. पी. प्रवीण, सहायक महानिदेशक (मात्स्यिकी) ने दिनांक 27.04.2019 को सी एम एफ आर आइ मुख्यालय की गतिविधियों का निरीक्षण किया।

छात्रों के लिए हिन्दी का परिचय

सी एम एफ आर आइ मुख्यालय, कोचीन और क्षेत्रीय / अनुसंधान केन्द्रों में दिनांक 3 फरवरी, 2019 को स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान कोचीन स्थित विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के छात्रों और सार्वजनिक

लोगों ने संस्थान का दौरा किया और उनको संस्थान की अनुसंधान गतिविधियों पर अवगत कराया गया। सेन्ट पॉल्स कालेज, कलमशेरी, एरणाकुलम के छात्रों तथा अध्यापकों ने हिन्दी अनुभाग का दौरा किया और उनको केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग और कंप्यूटरों में यूनिकोड के उपयोग पर अवगत कराया गया।

हिन्दी कार्यशाला

संस्थान मुख्यालय के कार्मिकों को हिन्दी में काम करने को प्रोत्साहन देने और हिन्दी बोलने की झिझक दूर करने के उद्देश्य से दिनांक 11.04.2019 को कार्यालयीन हिन्दी और बोलचाल की हिन्दी विषय पर कार्यशाला आयोजित की गयी।



कंप्यूटर में हिन्दी के प्रयोग



हिन्दी कार्यशाला का दृश्य

संगोष्ठी / सम्मेलन में संस्थान की गतिविधियाँ

क) कोच्ची न रा का स में प्रस्तुतीकरण: कोच्ची के केन्द्रीय सरकार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति और सार्वजनिक उपक्रम न रा का स के तत्वावधान में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 06 जनवरी, 2019 को कोच्ची में आयोजित संगोष्ठी में सी एम एफ आर आइ में राजभाषा कार्यान्वयन की गतिविधियों पर डॉ. श्याम एस. सलिम, प्रधान वैज्ञानिक ने पावर पॉइन्ट प्रस्तुतीकरण किया।



डॉ. श्याम एस. सलिम द्वारा संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन की गतिविधियों पर प्रस्तुतीकरण

ख) वैज्ञानिक हिन्दी संगोष्ठी में प्रस्तुतीकरण: डॉ. जे. जयशंकर, प्रधान वैज्ञानिक, सी एम एफ आर आइ, कोचीन और डॉ. बिजी सेवियर, वैज्ञानिक, सी एम एफ आर आइ विशाखपट्टणम क्षेत्रीय केन्द्र ने केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुम्बई के काकिनाडा क्षेत्रीय

केन्द्र द्वारा दिनांक 15-16 मार्च, 2019 को काकिनाडा में 'भारत के दक्षिणी राज्यों में समुद्री संवर्धन के नए आयाम' विषय पर आयोजित वैज्ञानिक संगोष्ठी में अपने लेखों का प्रस्तुतीकरण किया।



हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए जांच बिंदु



केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान

(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्)

[कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार]

Central Marine Fisheries Research Institute

(Indian Council of Agricultural Research)

[Department of Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture, Govt. of India]

पोस्ट बॉक्स सं. 1603, एरणाकुलम नोर्थ पी.ओ., कोच्ची - 682018, केरल, भारत

Post Box No. 1603, Ernakulam North P.O., Kochi - 682018, Kerala, India

Phone: 91 484 2394867/2391407 Fax: 91 484 2394909/2396685 Email: director@cmfri.org.in Web: www.cmfri.org.in



सं. 1-7/2003- हिन्दी ।।।

दिनांक: 20.04.2019

आदेश / Order

विषय: राजभाषा के प्रयोग के संबंध में जांच बिन्दु लगाए जाने के संबंध में

Sub: Set up of Check points regarding use of Official Language Hindi

संघ की राजभाषा नीति का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन करने तथा राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित नियमों, अधिनियमों, आदेशों व अनुदेशों आदि का अनुपालन बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित जाँच बिंदुओं की स्थापना की जाती है और उनके प्रभारी अधिकारियों को कर्तव्य सौंपे जाते हैं:

Following Check points are hereby set up for effective implementation of Official Language Policy of the Union and to ensure the compliance of rules, acts, orders and instructions regarding progressive use of Official Language Hindi and following duties are assigned to the concerned Officers:

क्र. कार्य की प्रकृति / Nature of duties सं.	जांच बिंदु और संबंधित कार्य / Check point and concerned duties
1 राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अधीन अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में जारी करना/ To issue the bilingual documents compulsorily under Section 3(3) of Official Language Act 1963: धारा 3(3) के अंतगत आनेवाले कागजात 1. सामान्य आदेश (General Orders)	संबंधित अनुभाग / डीलिंग कार्मिक 1) वे यह सुनिश्चित करें कि धारा 3 (3) के अंतर्गत आनेवाले कागजात अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में ही तैयार करवाकर हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत करें। 2) वे उपर्युक्त दस्तावेजों का यदि हिन्दी रूपांतर उपलब्ध न हो तो संबंधित दस्तावेज की प्रति अनुवाद हेतु राजभाषा अनुभाग में प्रेषित करें और यथाशीघ्र इसका हिन्दी रूपांतरण जारी करवाएं. (A) Concerned Sections / Dealing Assistants 1) They will ensure that documents under Section 3(3) are compulsorily prepared and put up for signature in bilingual.

<ol style="list-style-type: none"> 2. संकल्प (Resolution) 3. नियम (Rules) 4. अधिसूचना (Notifications) 5. प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट (Administrative and other reports) 6. प्रेस विज्ञप्तियाँ (Press Communiqués) 7. संविदाएं (Contracts) 8. करार (Agreements) 9. अनुज्ञप्तियाँ (Licences) 10. अनुज्ञा पत्र (Permits) 11. सूचनाएं (Notices) 12. नोटिस एवं निविदा प्रारूप (Notice and Forms of Tenders) 13. संसद के आगे प्रस्तुत किए जाने वाले कागज़त (Documents to be put up before Parliament) 	<p>2) If Hindi version of the said document is not available, copy of concerned documents should be sent to Official Language Section and Hindi version of the same may be issued as early as possible.</p> <p>(ख) हस्ताक्षर करनेवाला अधिकारी हस्ताक्षर करनेवाले अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि धारा 3(3) के अंतर्गत आनेवाले सभी दस्तावेज अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में ही जारी किए जाएं।</p> <p>(B) Signing Authority 1) Signing Authority must ensure that all the documents under Section 3(3) are compulsorily issued in bilingual. 2) If it is not so, process under A (2) may be followed.</p> <p>(ग) राजभाषा अनुभाग धारा 3(3) के अंतर्गत आनेवाले अनुवाद हेतु प्राप्त दस्तावेजों का अनुवाद संबंधित अनुभाग को तत्काल उपलब्ध करवा दिया जाए।</p> <p>(C) Official Language Section Documents received for translation under Section 3(3) must be returned to concerned section immediately with translation.</p> <p>(घ) प्रशासन अनुभाग प्रशासन अनुभाग यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार के कागज़त हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जा रहे हैं।</p> <p>(D) Administration Section Administration Section has to ensure that such types of documents are issued in both Hindi and English.</p>
<p>2 'क' और 'ख' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों को पत्र हिन्दी में भेजना 'क' क्षेत्र: बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। 'A' Region: Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chattisgad, Jharkhand, Uttaranchal and Andaman Nicobar Islands and Union Territory of Delhi are included. 'ख' क्षेत्र: गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य और चंडीगढ़, दमन एवं दियु और दादरा राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। 'B' Region: Gujarat, Maharashtra, Punjab & Chandigad, Daman & Diu and Dadara Nagar Haveli UT are included.</p>	<p>(क) संबंधित अनुभाग / डीलिंग कार्मिक 'क' और 'ख' क्षेत्रों को प्रेषित किए जानेवाले पत्र हिन्दी में तैयार किए जाएं। इस प्रयोजन के लिए राजभाषा अनुभाग की सहायता से प्रेषण पत्र, अनुस्मरण पत्र आदि के मानक प्रारूप हिन्दी / द्विभाषी रूप में तैयार किए जा सकते हैं।</p> <p>(A) Concerned Section /Dealing Hand Letters to be sent to 'A' & 'B' Region must be prepared in Hindi as per the target in Annual Program. Standard drafts of letters to be despatched, reminder letters etc. may be prepared in Hindi / Bilingual with the help of Official Language Section.</p> <p>(क) संबंधित अनुभाग अधिकारी वे यह सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त का अनुपालन हो रहा है।</p> <p>(B) Concerned Section Officers They may ensure the compliance of the same.</p>

<p>3 लिफाफों पर हिन्दी में पता लिखना / Writing of addresses on the envelopes 'क' और 'ख' क्षेत्रों में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों / व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर हिन्दी में पता लिखवाना चाहिए। Writing address on envelopes in Hindi Addresses on envelopes of the letters to be sent to people / Offices in Region 'A' & 'B' should be written in Hindi.</p>	<p>(क) प्रेषण अनुभाग प्रेषण अनुभाग का यह दायित्व होगा कि 'क' और 'ख' क्षेत्रों के कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पता द्विभाषी में लिखा जाए। (A) Despatch Section It will be the duty of Despatch Section that addresses on envelopes of the letters to be sent to people / Offices in Region 'A' & 'B' region are written in Hindi. (ख) संबंधित अनुभाग अधिकारी वे यह सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त का अनुपालन हो रहा है। (B) They may ensure the compliance of the same.</p>
<p>4 हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर / Reply to letters received in Hindi राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 5 के अनुसार हिन्दी में लिखे गए या हस्ताक्षर किए गए पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाना अनिवार्य है। As per the Rule 5 of Official Language Rules 1976 replay of letters written / signed in Hindi should be given in Hindi itself.</p>	<p>(क) संबंधित अनुभाग / डीलिंग कार्मिक वे हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर का प्रारूप अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही प्रस्तुत करेंगे। यदि कोई कठिनाई हो तो निवारण के लिए राजभाषा अनुभाग की मदद ली जा सकती है। (A) Concerned Section / Dealing Assistant They will necessarily present the draft of the letters received in Hindi. If there is any difficulty, help of Official Language Section may be taken. (ख) हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी वे यह सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त का अनुपालन हो रहा है। (B) Signing Authority They may ensure the compliance of the same. (ग) सभी अधिकारियों से पावती हिन्दी / द्विभाषी रूप में भेज देने का निदेशक दिया जाता है। (C) All the Officers are directed to send the acknowledgement in Hindi.</p>
<p>5 सेवा पुस्तिकाओं / रजिस्ट्रों में प्रविष्टियाँ संस्थान के सभी कार्मिकों की सेवा पुस्तिकाओं और रजिस्ट्रों में सभी प्रकार की प्रविष्टियाँ यथा संभव हिंदी / द्विभाषी रूप में की जाएं। Entries in Service Books / Registers Entries in all Service Books and Registers maintained in the Institute may be made in Hindi / bilingual.</p>	<p>(क) संबंधित अनुभाग / डीलिंग कार्मिक संस्थान की सभी सेवा पुस्तिकाओं और रजिस्ट्रों में प्रविष्टियाँ हिन्दी/ द्विभाषी रूप में की जानी चाहिए। इसके लिए रबड़ की मोहरों का उपयोग किया जा सकता है। (A) Concerned Section / Dealing Assistant All entries in Service books and Registers should be done in Hindi / Bilingual by them. Proper rubber stamps may be used for this purpose. (ख) कार्यालय अध्यक्ष / अनुभाग अधिकारी वे यह सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त का अनुपालन हो रहा है। प्रविष्टियाँ अनुप्रमाणित करने से पहले उन्हें उपर्युक्त का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। (B) Head of Office / Section in Charge They may ensure the compliance of the same before attestation of entries. (ग) संबंधित अनुभाग अधिकारी उन्हें निगरानी रखनी चाहिए कि इन अनुदेशों का अनुपालन हो रहा है या नहीं। (C) Concerned Section in Charge They may ensure that compliance of the instruction is being made.</p>

<p>6 कंप्यूटरों में हिन्दी में काम करने की सुविधा संस्थान में उपलब्ध सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड डाउनलोड करवाया जाना चाहिए। / Facility to work in Hindi in Computers UNICODE may be installed in all computers being used in the Institute.</p>	<p>भंडार अनुभाग हिंदी अनुभाग के सहयोग से सभी सामग्रियाँ द्विभाषी रूप में तैयार करें। Stores Section may ensure this with the help of Hindi Section.</p>
<p>7 रबड की मोहरों, नाम पट्ट, सूचना पट्ट आदि का द्विभाषीकरण /Bilingualization of Rubber stamps, Name Board, Name plate etc. सभी रबड की मोहरें, नाम पट्ट, सूचना पट्ट आदि द्विभाषी रूप में तैयार करना अनिवार्य है। All kinds of Rubber stamps, Name Board, Name plate etc. should be prepared in bilingual form.</p>	<p>भंडार अनुभाग हिंदी अनुभाग के सहयोग से सभी सामग्रियाँ द्विभाषी रूप में तैयार करें। Stores Section may ensure this with the help of Hindi Section.</p>
<p>8 चार्ट / मानचित्र / प्रदर्शन बोर्ड / लेबल आदि Charts / Maps/ Display Board / Label etc. सभी चार्ट, मानचित्र, लेबल आदि द्विभाषी या त्रिभाषी रूप में तैयार किए जाएं। All Charts / Maps/ Display Board/ Label etc. may be prepared in bilingual form.</p>	<p>सभी प्रभागों के अध्यक्ष और संबंधित वैज्ञानिक अनुपालन सुनिश्चित करें। All Heads of Divisions and concerned Scientists may ensure the compliance.</p>
<p>9 राजभाषा निरीक्षण / Official Language inspection निदेशक व वरिष्ठ अधिकारी अनुसंधान तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए अधीनस्थ केंद्रों में दौरे पर जाते वक्त राजभाषा के प्रयोग का भी निरीक्षण करें। / Director or Senior Officers while on tour to Outstations for research and administrative purpose may inspect the Official Language activities also.</p>	<p>निरीक्षण के समय केंद्रों के प्रभारी वैज्ञानिक निरीक्षण प्रपत्र प्रस्तुत किया जाएं। हिन्दी अधिकारी द्वारा मुख्यालय तथा अधीनस्थ केन्द्रों का निरीक्षण राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों के अनुसार किया जाए। Scientist in Charge of the Centre may provide inspection proforma at the time of inspection. Inspection of Headquarters and subordinate Centres regarding Official Language should be done by Hindi Officer as per the targets given in the Annual Programme issued by Rajbhasha Vibhag.</p>
<p>10 हिंदी पुस्तकों की खरीद / Purchase of Hindi books कुल पुस्तकालय अनुदान में से खर्च का 50% जर्नल और मानक संदर्भ ग्रंथों को छोड़कर हिन्दी पुस्तकों की खरीद के लिए खर्च किया जाएं। Out of the fund allotted 50% may be utilized for purchasing Hindi books excluding journals and reference books.</p>	<p>प्रभारी अधिकारी, पुस्तकालय द्वारा अपेक्षित हिन्दी पुस्तकों की खरीद की जाएं। / Officer in Charge, Library may ensure the desired purchase of Hindi books.</p>

<p>11 प्रपत्रों का द्विभाषीकरण और प्रयोग/ Bilingualization & use of bilingual forms कार्यालय में प्रयुक्त किए जाने वाले सभी प्रपत्र द्विभाषी रूप में हैं। इन्हीं में से कुछ प्रपत्र वेब साइट में अपलोड किए गए हैं। प्रिंट आउट करके उपयोग करें। All forms being used in the Institute are bilingual and out of which 6 have been uploaded in Website also. These may be downloaded and used.</p>	<p>All staff members / सभी कर्मचारी सदस्य</p>
<p>12 वार्षिक कार्यक्रम / Annual Programme सभी अधिकारी / कर्मचारी राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। All Officers / Officials will ensure the compliance of targets given in the Annual Programme issued annually by Rajbhasha Vibhag.</p>	<p>सभी कर्मचारी सदस्य अनुपालन सुनिश्चित करें।/ All staff members may ensure the compliance .</p>
<p>13 हिंदी में टिप्पण / Noting in Hindi राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य 30% है। / As per Annual Programme target of writing noting in Hindi is 30%.</p>	<p>सभी अधिकारी एवं संबंधित अनुभागों के कार्मिक फाइलों में टिप्पणियाँ हिन्दी में लिखें. / All Officers and Dealing Assistants of concerned Sections may write noting in Hindi in files.</p>

इस आदेश का अनुपालन करने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाए। आदेश की प्रति सभी कर्मचारियों के बीच परिचालित की जाए और सूचना पट्ट में प्रदर्शित की जाए।

This should be brought to the notice of all Officers / staff members for compliance to the above order. This order should be circulated among all staff members and copy of this order may be displayed on Notice Board.

डॉ. ए. गोपालकृष्णन
निदेशक

प्रोत्साहन योजना

हिन्दी में मूल काम करने के लिए भारत सरकार की प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत संस्थान के छः कार्मिकों – श्री सुनिल ए. टी., सहायक, श्रीमती स्मिता के., वैयक्तिक सहायक, श्रीमती प्रसन्नकुमारी, वरिष्ठ तकनीशियन, श्रीमती धन्या एम. बी., आशुलिपिक ग्रेड III, श्रीमती प्रीती उदयभानु, कुशल सहायक कर्मचारी और श्रीमती वी. जयलक्ष्मी, सहायक- को प्रोत्साहन योजना पुरस्कार प्रदान किए गए।



राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस

विश्व हिन्दी दिवस	जनवरी 10
राष्ट्रीय युवा दिवस	जनवरी 12
शहीद दिवस	जनवरी 30
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस	मार्च 8
विश्व जल दिवस	मार्च 22
विश्व पृथ्वी दिवस	अप्रैल 22
अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस	मई 22
विश्व पर्यावरण दिवस	जून 5
विश्व महासागर दिवस	जून 8
विश्व समुद्री कच्छप दिवस	जून 16
राष्ट्रीय मछली पालनकार दिवस	जुलाई 10
विश्व जनसंख्या दिवस	जुलाई 11
विश्व साक्षरता दिवस	सितंबर 8
हिन्दी दिवस	सितंबर 14
अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस	सितंबर 30
विश्व डाक दिवस	अक्तूबर 9
विश्व खाद्य दिवस	अक्तूबर 16
विश्व जेलीफिश दिवस	नवंबर 3
विश्व मात्स्यिकी दिवस	नवंबर 21
विश्व मृदा दिवस	दिसंबर 5
सशस्त्र सेना झंडा दिवस	दिसंबर 7
मानव अधिकार दिवस	दिसंबर 10
राष्ट्रीय किसान दिवस	दिसंबर 23

मात्स्यिकी शब्दावली

A

Adaptation	अनुकूलन
Aquarium	जलजीवशाला
Algae	शैवाल

B

Bivalve	द्विकपाटी
Blue revolution	नीली क्रान्ति
Breeding	प्रजनन

C

Carapace	पृष्ठवर्म
Clam Fishery	सीपी मात्स्यिकी
Craft and gear	जलयान एवं संभार

D

Demersal Fish	तलमज्जी मछली
Depuration	शुद्धीकरण
Dorsal fin	पृष्ठ पख

E

Elasmobranch	उपास्थिमीन
Entomology	कीटविज्ञान
Exploitation	विदोहन

F

Fish preservation	मछली परिरक्षण
Fisheries Research	मात्स्यिकी अनुसंधान
Fresh Fish	ताज़ी मछली

G

Global Warming	भौगोलिक तापमान
Gold Fish	स्वर्ण मीन
Green Mussel	हरित शंबु

H

Habitat	आवास
Harvest	संग्रहण
Hatchery	स्फुटनशाला

I

Inactive State	निष्क्रिय अवस्था
Inland Fisheries	अंतर्स्थलीय मात्स्यिकी
Integrated Fish Farming	एकीकृत मछली पालन

J

Jaw	हनु
Jelly Fish	जेली फिश
Juvenile Fish	किशोर मछली

K

Key Species	मुख्य जाति
Kite	चील
Krishi Vigyaan Kendra	कृषि विज्ञान केंद्र

L

Laboratory	प्रयोगशाला
Larval Stage	डिम्भक अवस्था
Lobster	महाचिंगट

M

Mackerel	बांगडा
Mariculture	समुद्री संवर्धन
Marine Cage Culture	समुद्री पिंजरा
	मछली पालन

N

National Museum	राष्ट्रीय संग्रहालय
Nesting Season	नीडन मौसम
Nutrition	पोषण

O

Offshore	अपतटीय
Oil Sardine	तारली
Ornamental Fish	अलंकारी मछली

P

Parasite	परजीवि
Pelagic Fisheries	वेलापवर्ती मात्स्यिकी
Prawn Production	झींगा उत्पादन

Q

Qualitative Analysis	गुणात्मक विश्लेषण
Quality Control	गुणता नियंत्रण
Quantitative Analysis	मात्रात्मक विश्लेषण

R

Rate of Survival	अतिजीवितता दर
Reference Book	सन्दर्भ ग्रंथ
Ring Seine	वलय संपाश

S

Sea Cucumber	समुद्री ककडी
Spawning	अंडजनन
Sustainable Use	टिकाऊ उपयोग

T

Thread fin bream	सूत्र पख ब्रीम
Tidal wave	ज्वारीय तरंग
Trawl	आनाय

U

Ultramicroscopic	अति सूक्ष्मदर्शीय
Unicellular organism	एककोशिक जीव
Unsaturated fatty acid	असंतृप्त वसा अम्ल

V

Vacuum	निर्वात
Vaporization	बाष्पन
Vessel Management System	पोत प्रबंधन प्रणाली

W

Water pollution	जल प्रदूषण
Whale	तिमि
White Spot disease	श्वेत चित्ती रोग

X

Xanthophyll	पर्णपीत
X-ray	एक्स रे
Xylem	जाइलम

Y

Yearly Harvest	वार्षिक फसल
Yellow fin tuna	पीत पख ट्यूना
Yield	उपज

Z

Zonal	आंचलिक/ मंडलीय / क्षेत्रीय
Zoology	प्राणिविज्ञान
Zooplankton	प्राणिलवक